

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

अपील संख्या 1591/2012/भीलवाड़ा

श्री कल्याण सिंह सोलंकी,  
भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,  
भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**

**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.06.2017

**निर्णय**

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 29/वैट/2011-12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश वर्ष 2006-07 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) आदेश दिनांक 19.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें वैट चुका कर की गई खरीद एवं ई.सी. वर्क व रिवर सैण्ड पर आरोपित वैट 39 के संदर्भ में आरोपित राशि रुपये 10,230/- के संबंध में यह अपील प्रस्तुत की है। विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2006-07 का दिनांक 19.04.2011 को पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है जो निम्न तालिका के अनुसार है :-

	लेखा पुस्तकों के आधार पर हमारे द्वारा प्रस्तुत		कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर	विवादित राशि	विवादित वैट राशि
4 प्रतिशत 12.5 प्रतिशत वैट चुका कर की गई खरीद	4%	4,39,602/-	4,94,552/-	54,950/-	2,198/-
	12.5%	2,14,317/-	26,789/-	26,789/-	3,349/-
नोन ई.सी. वर्क पर स्टोन व रिवर सैण्ड पर आरोपित वैट 39 के सन्दर्भ में		1,13,870/-	1,28,104/-	1,28,104/-	16,013/- (-) 13,330/- 2,683/-
रिटर्न प्रस्तुत की शास्ति					2,000/-
			Total		10,230/-

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवायी का अवसर दिये बिना ही हमारे द्वारा घोषित खरीद पर लाभांश एवं खर्च जोड़कर अन्तर राशि पर वैट आरोपित करने में विधिक भूल की है।

लगातार.....2

क्योंकि हमारे द्वारा माल का उपयोग संविदा कार्य में किया जाता है संविदा कार्य में उपयोग होने से जो माल हमारे द्वारा खरीदा गया जिसका वैट हमारे द्वारा चुका दिया गया उस माल में हमें प्रोफिट हुआ या नुकसान हुआ इसका अंकन अधिकारी ने बिना किसी सुनवायी का अवसर दिये ही जोड़ दिया। हमारे द्वारा माल की बिक्री नहीं की जाती है। ठेका कार्य में माल का उपयोग लिया जाता है इसलिए माल की कीमत में किसी प्रकार की वैल्यू एड नहीं की जाती अतः कर निर्धारण अधिकारी ने एड की गयी पर वैट राशि पर वैट 4 प्रतिशत से रूपये 2,198/- 12.5 प्रतिशत से रूपये 3,349/- कुल रूपये 5,547/- अपास्त योग्य है। वैट अधिनियम के तहत रिटर्न प्रस्तुत की शास्ति के पहले विशिष्ट नोटिस देना आवश्यक होता है जो नहीं दिया गया साथ ही ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी का कार्य किया जाता है जिसमें बिक्री कर की कटौती अवार्डर द्वारा कर सूचना वाणिज्यिक कर विभाग को अवार्डर दे देता है इसलिये रिटर्न की सूचना से प्राप्त हो जाती है और हमें अवार्डर प्रति तिमाही वैट 41 भी जारी नहीं करता है और हमारा कर एडवान्स जमा रहता है जिसका हमें रिफण्ड मिलता है। अतः आरोपित रिटर्न शास्ति रूपये 2,000/- निरस्त योग्य है। रीवर सैण्ड एवं स्टोन मय ट्रासपोर्टेशन के प्रति ट्रीप के हिसाब से खरीद वैल्यू की घोषणा की है जिस पर लाभांश व खर्चा जोड़कर कर निर्धारण अधिकारी ने 12.5 प्रतिशत से वैट आरोपित कर दिया है जो विधि के विपरीत है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रति ट्रीप के हिसाब से विभाग द्वारा अधिकृत ठेकेदार को वैट-39 के जरिये वैट राशि जो प्रति ट्रीप निश्चित की गयी है उसका भुगतान कर दिया गया है जिसकी सूची प्रस्तुत कर दी गयी है। वैट कर अधिनियम 2003 सं 4 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके अधीन संलग्न सूची के स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित माल, जो यान या वाहन के माध्यम से लाया या ले जाया गया हो, के विक्रय या क्रय पर धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर से किसी व्यवहारी या व्यक्ति को इसके द्वारा इस शर्त पर छूट देती है कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति, ऐसे माल के संबंध में यथा-विनिर्दिष्ट, इसके स्तम्भ संख्या 3 में प्रत्यसदस्य के सामने यथा-उल्लिखित छूट फीस का संदाय कर देता है। अपीलार्थी द्वारा रेती व पत्थर पर प्रति ट्रीप से वैट भुगतान कर दिया तो उक्त रेती पत्थर पर लाभांश व खर्च जोड़कर 12.5 प्रतिशत से आरोपित वैट राशि अपास्त योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा रेती पत्थर पर चुकायी गयी ठेकेदार को राशि रूपये 13,330/- पर ही उक्त रेती पत्थर को वैट पेड माना जावे एवं अधिक आरोपित राशि रूपये 2,683/- रिफण्ड योग्य बनायी जावे। फिर भी ठेकेदार द्वारा नदी से रेत निकाली गई है और नदी का ठेका विभाग द्वारा दिया गया जिस वैट एक्ट में 4 प्रतिशत है वैट राशि 12.5 प्रतिशत से आरोपित वैट निरस्त योग्य है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

Rule 19A- where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

लगातार.....3

- (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and
- (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

जहां तक अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारों को वैट-39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2426/2012/भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉन्फेब प्रा. लि., शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 में निम्न निर्णय दिया गया है :-

“10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर जमा कराई राशि जिसके संबंध में उसने वैट 07 भी प्रस्तुत किया है, अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों को आगत कर का समायोजन प्रतिबंधित है।

11. जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवं उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवं उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तदसंबंधित व्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरुद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवं न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टान्त का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।”

4. बहस के बिन्दू संख्या 2 में 3(2) व्यवसाई से खरीद पर करारोपण का बिन्दू उठाया है। धारा 3(2) के विक्रेता व्यवसाई ने राज्य सरकार को जो कम्पोजिशन राशि चुकाई है वह एक कम्पोजिशन स्कीम विशेष के तहत अन्य व्यवहारिक विभागीय सुविधाओं के तहत विकल्प का एक रूप है। अतः यदि ऐसे कम्पोजिशन व्यवसाई से कोई संविदाकर्ता माल खरीदता है और उसे आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लगाकर भुगतान करता है तो इस माल पर कर लगेगा क्योंकि यह कार्य डीमड सेल के समान होने से उस पर कर का दायित्व बनता है तथा ऐसे माल को खरीद के समय नहीं चुकाये गये कर को बाद में चुकाने का दायित्व बनता है, साथ ही यह संविदाकर्ता द्वारा की गई यह खरीद धारा 18 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अतः इस पर आई.टी.सी. भी देय नहीं होगा।

वैट अधिनियम के नियम 11 के उपनियम 2 के प्रावधानुसार इस प्रकार है :-

"The last point in the series of sales shall be the sale in such series by a registered dealer to a consumer or to an unregistered dealer or to a registered dealer for purposes other than resale within the state or to a registered dealer who has opted for payment of tax under subsection (2) of section 3 or section 5 of the Act. "

इस उपनियम में सेल्स की अंतिम बिन्दू की बिक्री को परिभाषित किया है। 3(2) व 5(1) के व्यवहारी को की गई बिक्री को अंतिम बिन्दू माना है। अपीलार्थी द्वारा 3(2) व 5(1) व्यवहारी से खरीद वर्क कॉन्ट्रैक्ट में काम में लिया है जो डीमड बिक्री की श्रेणी में आता है। वैट अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार :-


"Input tax credit shall be allowed to registered dealers, other than the dealers covered by sub section (2) of section 3 or section in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed."

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त वैट अधिनियम की धारा एवं नियम को सही परिभाषित नहीं किया तदनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने इसके तहत जो करारोपण किया है वह विधिसम्मत है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह बिन्दू उठाया है कि बिना विशिष्ट नोटिस जारी किये उनकी घोषित खरीद को अमान्य कर बिक्री बढ़ाकर करारोपण किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त(अपील्स) द्वारा प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, और इस संबंध में समुचित आदेश दिये हैं। इसलिये अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। लिहाजा इस बिन्दू पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. फलतः अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य